भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या – 2782**

(जिसका उत्तर मंगलवार, 05 अगस्त, 2014 को दिया गया)

**<u>सी.एस.आर. मानकों के अनुपालन में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के समक्ष आ रही समस्याएं</u>**

**2782. श्री बलविंदर सिंह भुंडर :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रम (पीएसयू) कंपनी अधिनियम में किए गए उपबंध के अनुसार 2 प्रतिशत के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी मानकों के अनुपालन में कठिनाइयों का सामाना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों ने सरकार को 2 प्रतिशत के सीएसआर मानकों में संशोधन करने के लिए पत्र लिखा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ड.) इस संबंध में कंपनी कानून में कब तक संशोधन किया जाएगा?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

**(क) से (ड.) :** कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत करपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्रावधान हाल ही में अर्थात् 01.04.2014 से प्रवृत्त हुए हैं। कंपनियों द्वारा सीएसआर कार्यान्वयन का यह पहला वर्ष है। अधिनियम के सीएसआर प्रावधानों के अनुपालन में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित कंपनियों को पेश आने वाली विशिष्ट कठिनाइयां संभवतः इस मंत्रालय के ध्यान में तब लायी जाएंगी जब सीएसआर नीतियों को कार्यान्वित करने वाली कंपनियों को इन प्रावधानों को लागू करने से अनुभव होंगे। तथापि, इस मंत्रालय को सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम से सीएसआर पर 2 प्रतिशत व्यय करने संबंधी मानदंड में संशोधन करने का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। अभी कंपनी अधिनियम, 2013 के सीएसआर प्रावधानों में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****